न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 105/2016

1. पूरादेवी पत्नी बुधराम जाति नायक निवासी कानौर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।
2. कानाराम
3. रणजीत
4. ओमप्रकाश
5. कालूराम
6. लालचन्द
7. मामराज
8. रूकमा

पुत्र/पुत्रिया बुधराम नायक निवासीगण कानौर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

'——अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़।

——रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 225 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध उपखंड अधिकारी सूरतगढ़

दिनांक 08.09.2010

उपस्थितिः—

श्री सुरेन्द्र सुथार अभिभाषक अपीलांट

श्री श्यामसुन्दर चाण्डक, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :— 29.09.2017**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार सूरतगढ ने एक प्रा.पत्र रा.का.अ. की धारा 177 के तहत उपखंड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष पेश

29/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

कर कथन किया कि अप्रार्थीगण के नाम से ग्राम कानौर के ख.न. 66/4 की 12.650 है0 भूमि आ.का. बाद दर्ज राजस्व रिकार्ड होकर कब्जा काश्त चली आ रही है जिसमें से अप्रार्थीगण ने 1.012 है0 भूमि में अवैध रूप से जिप्सम निकाल रहे है जो भूमि को नुकसान पहुंचाने की परिभाषा में आता है। अतः निवेदन है कि अवैध खनन के आरोप में अप्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल कर रकबा राज किया जावे।

प्रा.पत्र पेश होने पर अप्रार्थीगण को तलब किया गया एवं अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करते हुए दिनांक 08.09.2010 को विवादित भूमि 1.012 है0 भूमि को आराजी राज करने एवं बहक सरकार लेने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थीगण ने किसी प्रकार का खनन कार्य नहीं किया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित हो कि अपीलांट द्वारा खनन कार्य किया हो। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार की जाकर स्वीकार की जावे एवं अधी.न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के विवादित भूमि से अवैध रूप से खनन कार्य किया है जिस पर तहसीलदार ने प्रा.पत्र पेश किया। अधी.न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वह उचित हैं अतः अपील खारिज की जावे।

29/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 08.09.2010 के विरूद्ध दिनांक 16.06.2016 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किए हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं किया है । ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में तो तथ्य अंकित हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में विलम्ब को माफ किया जाकर अपील गुणावगुण के आधार पर निर्णित की जाती है।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के निर्णय दिनांक 08.09.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। अधी. न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से अधी. न्यायालय द्वारा तहसीलदार सूरतगढ द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 177 पठित धारा 63(v) राज.काश्त.अधि. 1955 का निर्णय किया है। प्रथमतः धारा 177 की bare reading है कि 177 में बेदखली के प्रावधान है न कि उसे रकबा राज करने का प्रावधान है। धारा 177बी की व्याख्या है कि " on the ground that he or any person holding from him has broken a condition on the breach of which he is, by special contract which is not contraray to the provisions of this Act, liable to be ejected." तथा धारा 63 का पठन है कि " Tenancy when extinguished .- (1) The interest of a tenant in his holding or a part thereof, as the case may be, shall be extinguished-- 63(v) when he has been ejected therefrom in accordance with the provisions of this Act."

' has been ejected' परन्तु प्रकरण हाजा में Is ejected होकर नियम विरूद्ध आदेश है। प्रार्थना पत्र के तथ्यों के अनुसार खातेदार द्वारा अगर अपनी खातेदारी में खनन कार्य किया जाता है तो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 89(7) के अन्तर्गत कार्यवाही योग्य ह जो अधी. न्यायालय द्वारा Invoke

29/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

नहीं किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी. न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.09.2010 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर